न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—178/2020/225 (2020/00178)

1. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि घनश्यामलाल वर्मा, जाति मेड़ स्वर्णकार, निवासी सनातन स्कूल मार्ग, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. ज्ञानसिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र भवानीसिंह, जाति अहीर, निवासी छावनी परेड, नया नगर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 21.8.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 47/2019.

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 22.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 21.8.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ब्यावर खास पटवार क्षेत्र व भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 2406 रकबा 2—5—00, खसरा नंबर 2407 रकबा 5—1—00, 2408 रकबा 00—05—00 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नंबर 2409 रकबा 8—9—10 के खातेदार काश्तकार प्रार्थी है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार दर्ज चली आ रही है । प्रार्थी स्वंय की उक्त खातेदारी भूमियों मे आने जाने एवं कृषि सामान ले जाने के लिए वर्तमान में प्रार्थी खसरा संख्या 2491, 2492 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी है एवं भूमि खसरा नंबर 2493 जो जो अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि है, उपरोक्त भूमियों मे से होकर प्रार्थी के खातेदारी की भूमियों के सामने होता प्रार्थी अपने उपरोक्त आराजी कृषि भूमियों में पिछले करीबन 40—50 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से आता जाता है । प्रार्थी को उक्त रास्ते पर आने जाने का सुखाधिकार हांसिल हो चुका है तथा उक्त आराजियात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 2491, 2492, 2493 में से होकर चला आ रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को दिनांक 25.7.2019 को प्रार्थी द्वारा किये जाने रहे चिरकाल से उपयोग उपभोग के रास्ते से अपने ट्रेक्टर से चारा लाने से मना कर दिया और विरोध किया । अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 2406, 2407, 2408 व 2409 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की

भूमि खसरा संख्या 2491, 2492, 2493 में बने कदीमी 30 फीट चौड़ा रास्ता मैन रास्ते तक चला आ रहा है, उसे दिलाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाये जाने बाबत् प्रार्थी डीएलसी दर से राशि अदा करने हेतु तैयार है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिांक 21.8.2020 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश प्रदान किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया में प्रावधित प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअदांज कर दिया कि कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पेशी दिनांक 11.9.2019 अपीलांट की ओर से नियुक्त अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया , जिसमें आगामी पेशी दिनांक 4.11.2019 वास्ते जवाब नियत की गई । किन्तु आगामी पेशी दिनांक 4.11.2019, 7.1.2020, 28.1.2020, 1.4. 2020 व 23.6.2020 को निरन्तर स्थानीय बार ऐसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने मात्र से तारीख पेशी ही तब्दील होती रही व पेशी दिनांक 23.6.2020 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.9.2020 नियत की गई । उक्त पेशी दिनांक से पूर्व ही न्यायालय द्वारा प्रकरण पत्रावली को संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देश की पालना में दिनांक 14.8.2020 को कैम्प कोर्ट जवाजा में बिना अपीलांट को सूचना दिये नियत कर दी गई व उसी दिनांक को प्रकरण पत्रावली में तहसीलदार ब्यावर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा पत्रावली को वास्ते जवाब व बहस प्रार्थना पत्र पेशी दिनांक 21.8.2020 नियत कर दी गई व दिनांक 21.8.2020 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण में एकतरफा फैसला कर अपीलांट की आराजियात में से रास्ता निकालने का आदेश प्रदान किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रभावित पक्षकार को बिना सुने व बिना समुचित अवसर प्रदान किये उसके हितों के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को भी नजरअंदाज किया कि अधी0न्याया0 द्वारा मात्र तथाकथित आधारों पर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जबकि रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों से यह पूर्णतया स्पष्ट था कि रेस्पो0 को उनकी आराजियात में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलबध है तथा वह वर्षो से उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा तैयारशुदा रिपोर्ट दिनांक 14.8.2020 के पैरा संख्या 2 से होती है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पो0 को आत्यन्तिक रास्ते की आवश्यकता नहीं थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट की आराजियात में से नवीन रास्ते के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि तहसीलदार द्वारा भी रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई है जिसके आधार पर पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 मुख्य सड़क से अपनी आराजियात पर आने जाने हेतु निरन्तर खसरा संख्या 2473, 2474, 2472, 2477, 2479, 2418, 2415, 2414 के रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है । प्रार्थी/रेस्पो0 ने केवल मात्र अपीलांट को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते के आदेश प्राप्त किये है जो

विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 40, आर0आर0टी0 2019 (1) पेज 403, आर0आर0टी0 2016–17 (सप्ली.) पेज 597, 677, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 423 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । प्रार्थी/रेस्पो0 मौजा ब्यावर, तहसील ब्यावर के आराजी खाता संख्या पुराना 167 नया 156 के खसरा नंबर 2406, 2407, 2408, 2409 कुल किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वांसी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 अपनी खातेदारी आराजियात में आने जाने तथा कृषि यंत्र इत्यादि लाने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2491 व 2492 तथा खसरा नंबर 2493 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि है, का उपयोग उपभोग अपने पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा है । रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए0राज0काश्त0अधि0 इस आशय का पेश किया कि मौजा ब्यावर खास पटवार क्षेत्र व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 2406 रकबा 2–5–00, खसरा नंबर 2407 रकबा 5–1–00, 2408 रकबा 00–05–00 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नंबर 2409 रकबा 8–9–10 के खातेदार काश्तकार प्रार्थी है । प्रार्थी स्वंय की उक्त खातेदारी भूमियों मे आने जाने एवं कृषि सामान ले जाने के लिए वर्तमान में प्रार्थी खसरा संख्या 2491, 2492 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी है एवं भूमि खसरा नंबर 2493 जो जो अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि है, उपरोक्त भूमियों मे से होकर प्रार्थी के खातेदारी की भूमियों के सामने होता प्रार्थी अपने उपरोक्त आराजी कृषि भूमियों में पिछले करीबन 40–50 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से आता जाता है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार प्रार्थी की आराजियात में आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या 1 के उपस्थित होने पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु रास्ते के आदेश पारित किये है । विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखे जाने की सूचना अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं दी गई तथा एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । यह भी कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने नवीन रास्ते के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को कैम्प कोर्ट पंचायत समिति, जवाजा में दिनांक 21.8.2020 को रखे जाने के संबंध में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 को व्यक्तिगत रूप से तामील

नहीं कराई है जिसकी पुष्टि अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 21.8. 2020 से होती है जिसमें यह अंकित किया गया है कि '' अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता को पूर्व कैम्प दिनांक 14.8.20202 की सूचना भी जरिये बार एसोसियेशन अध्यक्ष ब्यावर दी जाने के बावजूद अनुस्थित रहे । कैम्प कोर्ट की सूचना बार अध्यक्ष को दिया जाना अपीलांट की व्यक्तिगत तामील/सूचना नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.8.2020 के अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार ने अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ब्यावर खास के वादग्रस्त खसरा नंबर 2406, 2407, 2408 व 2409 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा नबर 2406, 2407, 2408 व 2409 में दूसरे खेतों में से पगदण्डी से होकर जाता है । प्रार्थी द्वारा वांछित खसरा नंबर 2491, 2492 व 2493 के अतिरिक्त कोई मार्ग उक्त खसरा नंबरान तक पहुंचने में आसान, नजदीक व सुविधाजनक नहीं है । खातेदार की भूमि खसरा नंबर 2406, 2407, 2408 व 2409 से मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 2492 प्रभावित होगा जो कि 2493 से लगता हुआ है । खसरा नंबर 2493 नक्शा लंकलाट में रास्ता दर्ज है । खसरा नंबर 2492 रकबा 00–10–00 किस्म दांती जो कि खातेदार उर्मिला देवी पत्नि घनश्यामलाल वर्मा जाति मेढ़ स्वर्णकार के नाम दर्ज है जो कि मौके पर कृषि हेतु उपयोग में नहीं आती है । उक्त खसरा नंबर में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 26X120 फीट 00–03–12 असिचिंत रकबा प्रभावित होगा । '' तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई है जबकि धारा 251–राज0काश्त0अधि0 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि रास्ते के संबंध मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार की जावे । तहसीलदार को रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय समस्त पक्षकारान को नोटिस जारी कर उनकी मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी । तहसीलदार की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, ब्यावर द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर